

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

किसी इलैक्ट्रनिक रूप में सूचना के संबंध में
ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा
धारित हों।
(मैनुअल-14)

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग द्वारा प्रतिदिन समाचार-पत्रों को ई-मेल के माध्यम से प्रेस विज्ञप्तियां भेजे जाने की व्यवस्था है, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध कराई जा सकती है।

विभाग द्वारा निम्न सूचनाएं भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध करायी जा सकती हैं:-

1. प्रेस विज्ञप्ति।
2. विभागीय कार्यकलाप।
3. विभिन्न विभागीय प्रकाशन।
4. विभागीय बजट।
5. शासन की विकासपरक एवं जनकल्याणकारी योजनाएँ।

विभाग से सम्बन्धित सूचनायें विभागीय वेबसाइट [www. Uttarinformation.gov.in](http://www.Uttarinformation.gov.in) में देखी जा सकती हैं।

